	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील फरीकैन उप० [illegible] पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस दि० 26/8/09 को पेश हो।	
	26/8/09 वकील फरीकैन उप०। पत्रावली वास्ते बहस दि० 16-9-09 को पेश हो।	
	16-9-09 वकील फरीकैन उप०। S.D.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 9-11-09 को पेश हो।	
	9.11.09 वकील फरीकैन उप० साथ में प्रतिवादी [illegible] पर बहस सुनी गयी। प्रतिवादी [illegible] स्वीकार किया जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

उपजिलाधिकारी
गंगापुर सिटी

में जारी हुए

न्यायालय मोहन लाल गुप्ता आर०ए०एस० उप जिला कलेक्टर गंगापुरसिटी

मुकदमा नम्बर 46/08 | तारीख रजू 16.05.08 | तारीख फैसला 9.11.09

श्यामसुन्दर पुत्र श्री जगनलाल जाति सुनार निवासी ग्राम छावा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर।

—सायल—

बनाम

1. केशन्ती पत्नी छुट्टन
2. छुट्टन पुत्र रामहेत
3. पप्पू पुत्र छुट्टन

जाति मीना निवासी आदर्श नगर गंगापुरसिटी।

—गैरसायलान—

प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री बिरदी चन्द शर्मा एडवोकेट, सायल की ओर से
श्री जुगलकिशोर गर्ग, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से ।

निर्णय

सायल ने इस आशय का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है कि सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 377/930 रकवा 0.27 हैक्टर एवं 384 रकवा 0.30 हेक्टर भूमि ग्राम छावा तहसील गंगापुरसिटी मे स्थित है। गैरसायल नम्बर 1 का खेत खसरा 148 रकवा 0.85 हैक्टर भूमि ताजपुर तहसील गंगापुरसिटी में स्थित है। सायल के खेत खसरा नम्बर 377/930 व 384 की व दिशा पश्चिम—दक्षिण मे चरपेटवा गैरसायल नमबर 1 का खेत खसरा नम्बर 148 है। गैरसायलान जबरदस्ती बेईमानी से मेड तोडकर साल के खेत खसरा नम्बर 377/930 व 384 में से 16 X100 मीटर भूमि पर अतिक्रमण करके सायल के खेत की भूमि को नाजायज दबाकर मेड तोड दी है। दिनांक 20.4.08 को गैरसायलान ने अतिक्रमण किया है, सायल ने मना किया तो गैरसायलान झगडे पर उतारू हो गये। अतः प्रार्थना पत्र पेश निवेदन है कि गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि सायल के उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान की तलबी की गयी। गैरसायलान ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाव मय काउन्टर क्लेम पेश किया गैरसायलान ने सायल की भूमि मे कोई अतिक्रमण नही किया है बल्कि सायल ने ही पुरानी डोल तोडकर गैरसायल सं0 1 की भूमि हाल खसरा नम्बर 148 में अतिक्रमण किया है। जिसमें गेरसायल स0 1 ने सायल के विरूद्ध एक दावा केसन्ती बनाम लक्ष्मी प्रस्तुत किया है, जो पेडिंग है।सायल की खातेदारी की भूमि साविक खसरा नम्बर 116 रकवा 13 बीघा 12 विस्वा, 118 रकवा 3 बीघा 9 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 17 बीघा 1 विस्वा भूमि है। जिसके अनुसार सेटलमेंट मे 17 बीघा के अनुसार 4.25 हैक्टर भूमि आनी चाहिये जबकि सायल ने सेटलमेंट अधिकारियों से साजिश करके हाल खसरा नम्बर 380 रकवा 60 एयर, 381 रकवा 65 एयर, 382 रकवा 78 एयर, 391 रकवा 69 एयर, 392 रकवा 67 एयर, 377/930 रकवा 27 एयर, 384 रकवा 30 एयर, 386 रकवा 77 एयर कुल किता 8 कुल रकवा 4.73 हैक्टर भूमि का इन्द्राज किया है । इस प्रकार सायल की खातेदारी में साविक के मुकावले 48 एयर भूमि ज्यादा दी है जो करीब 2 बीघा भूमि होती है। सायल की भूमि ग्राम छावा

न है और सायल की भूमि के पश्चिम में ग्राम ताजपुर की सीमा है। ग्राम छावा
ताजपुर के मध्य मे अर्से दराज से पुरातन काल से 30 फिट चौडा रास्ता रहा है
खडी की डूँगरी से ताजपुर तक जाता है जिसमें होकर सारे गॉव वाले , और
बहुत से लोग आमद रफ्त करते रहे। हाल खसरा नम्बर 377/930, 383, 38
386/936, रास्ते की भूमि है।रास्ते की भूमि का न तो आवंटन किया जा सकता
न ही किसी की खातेदारी में लगाई जा सकती है। खसरा नम्बर 383 गैरमुमकि
नाला है। जिसमें होकर पानी बहता है एवं यह भूमि आमद रफ्त के काम मे भी आ
है। सायल ने सेटलमेट कर्मचारियो से मिलकर खसरा नम्बर 377/930 रकवा 2
एयर का इन्द्राज खातेदारी गलत रूप से अपना नाम करवा लिया है। गैरसायल
केशन्ती की ग्राम ताजपुर मे साविक खसरा नम्बर 55 रकवा 5 बीघा 3 विस्वा भूमि
जिसके अनुसार सेटलमेंट मे गैरसायला केशन्ती का 1.29 हैक्टर भूमि मिलनी चाहि
लेकिन सेटलमेट अधिकारियों ने साविक खसरा नम्बर 55 का हाल खसरा नम्बर 14
रकवा 85 एयर बनाया है और 44 एयर का इन्द्राज कम किया है। जबकि खस
नम्बर 148 का मौके पर रकवा 1.29 हैक्टर है। जिसमें से करीब 40 एयर भू
गैरसायला की डोल को तोडकर सायल ने नई डोल लगाकर दिनांक 18.05.08 क
मिला ली जिसका कि सायल को कोई अधिकार नही है। अतः काउन्टर पेश क
निवेदन है कि सायल को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि
खसरा नम्बर 377/930 रकवा 27 एयर, 384 रकव 30 एयर ग्राम छावा में होक
गैरसायलान व आम गॉव वालों को आमद रफ्त में बाधा उत्पन्न नही करें व रास्ते
बन्द नही करे तथा सायल खेत खसरा नम्बर 148 ग्राम ताजपुर रकवा 1.29 हैक्टर
कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर काउन्टर
क्लेम स्वीकार फरमाया जावे।

सायल ने काउन्टर क्लेम का जबाव उल जबाव पेश किया है। खसरा नम्बर
377/930,384 रास्ते की भूमि नही है, सायल की खातेदारी की भूमि है। गैरसायल ने
खसरा नम्बर 377/930 ,384 में से 16X100 मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है
गैरसायल की भूमि खसरा नम्बर 148 रकवा 0.85 हैक्टर ग्राम ताजपुर में स्थित है
काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी स0 2059–2062 ग्राम छावा,नक्शा ट्रेस ग्राम छावा, नक्शा ट्रैस ग्राम ताजपुर, नकल जमाबन्दी स0 2061–2064 ग्राम ताजपुर पेश की है।

गैरसायलान ने अपने जबाव के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है।

विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक सायल ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

विद्वान अभिभाषक गैरसायलान ने जबाव के अनुरूप बहस करते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया है।

पत्रावली का अध्ययन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नकल जमाबन्दी स0 2059–2062 में खसरा नम्बर 377/930 रकवा 27 एयर, 384 रकवा 30 एयर श्यामसुन्दर सायल की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 148 रकवा 85 एयर गैरसायला केशन्ती की खातेदारी में दर्ज है, जो गैरसायला ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। गैरसायला इससे अधिक भूमि लेने की अधिकारी नही है। विवादित आराजी सायल की खातेदारी में दर्ज है। अन्यथा कारण नही हो तो खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। गैरसायलान ने कोई मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान की कोई रिपोर्ट पेश नही की है जिससे यह विदित हो कि सायल द्वारा गैरसायलान की खातेदारी में मेड तोडकर अतिक्रमण कर लिया है। गेरसायलान के हक हकूको निस्तारण साक्ष्य के बाद गुणावगुण के आधार पर दावें में होना है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपजिला कलेक्टर

सायल प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। काउन्टर क्लेम गैरसायल खारिज योग्य पाया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र सायल विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 377/930 रकवा 27 एयर, 384 रकवा 30 एयर स्थित ग्राम छावा तहसील गंगापुरसिटी के सायल के कब्जें काश्त में बाधा उत्पन्न नही करे। गैरसायलान का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील मूल दावे के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 9.11.09 को सुनाया गया।

(मोहन लाल गुप्ता)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुरसिटी